रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2008/माघ 24, 1929
No. 214] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2008/MAGHA 24, 1929

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2008

का.आ. 324(अ).—यतः, मैसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (वर्तमान में गेल (इण्डिया) लिमिटेड) द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए टाटीपाका–काकीनाडा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग की अधिसूचनाओं का० आ० 1986 तारीख 28 जुलाई, 1990; का० आ० 1987 तारीख 28 जुलाई, 1990 तथा का० आ० 2875 तारीख 10 नवम्बर, 1990 द्वारा, उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, यतः, भारत सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने हेतु चाहिए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन किये जाने का निर्णय लिया था;

और, यतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग की अधिसूचनाओं का० आ० 3355 तारीख 15 दिसम्बर, 1990; का० आ० 3360 तारीख 15 दिसम्बर, 1990 तथा का० आ० 780 तारीख 16 मार्च, 1991 द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित किया था;

और, यतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार क्रमशः अधिसूचनाओं के प्रकाशन की

तारीख से, भारत सरकार में निहित होने की बजाए, सभी बाधाओं से मुक्त मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित किया था;

और, यतः, मैसर्स रिलायन्स गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर0जी0टी0आई0एल0), जो कि काकीनाडा–हैदराबाद–उरान–अहमदाबाद गैस पाइपलाइन बिछा रही है, ने इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार, जो उपरोक्तानुसार मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित है, को मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड के साथ बांटने की इच्छा जताई है;

और, यतः, मैसर्स आर0जी0टी0आई0एल0 की काकीनाडा–हैदराबाद–उरान–अहमदाबाद गैस पाइपलाइन को मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड के पाइपलाइन नेटवर्क से ओडुरू गांव, रामचन्द्रपुरम मण्डल, ईस्ट गोदावरी जिले स्थित टाटीपाका–काकीनाडा पाइपलाइन इन्जैक्शन फैसीलिटी पर जोड़ने के लिए, मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड ने, संलग्न नियम तथा शर्तों के आधार पर, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार को मैसर्स आर0जी0टी0आई0एल0 के साथ बांटने के लिए अपनी सहमति दे दी है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, जो मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित किया गया था, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से मैसर्स आर0जी0टी0आई0एल0 के द्वारा भी, संलग्न नियम तथा शर्तों के आधार पर, उपयोग किया जाएगा।

(अनुसूची एवं नियम तथा शर्तें संलग्न)

अनुसूची

मंडल / तालुका : करपा **जिला : ईस्ट गोदावरी** **राज्य : आन्ध्र प्रदेश**

गांव का नाम	सर्वे / हिस्सा नम्बर	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	सि.एयर
1) मीरीपुरम	6	0	02	95
मंडल / तालुका : रामचन्द्रापुरम	**जिला : ईस्ट गोदावरी**			**राज्य : आन्ध्र प्रदेश**
2) ओदरु	159	0	00	71
	163	0	01	99
	160	0	01	38
	162	0	00	67
	161	0	02	70
	155	0	00	10
	164	0	03	06
	152	0	02	70
	150	0	02	85
	120	0	02	96
	121	0	00	67
	122	0	02	35
	116	0	00	57
	125	0	01	56
	127	0	00	27
	124	0	02	35
	129	0	00	20

[फा. सं. 14014/26/2007–जीपी]

के. के शर्मा, अवर सचिव

मैसर्स रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा गेल के प्रयोक्ता के अधिकार (आर ओ यू) के उपयोग की शर्तें और निबंधन।

1. पाइपलाइन बिछाने का कार्य ओ. आई. एस. डी मानक 226 व अंतरराष्ट्रीय मानक ए.एस.एम ई बी 31.8 के अनुसार होना चाहिए।

2. मौजूदा आर ओ यू गेल के 18 मीटर के आर ओ यू गलियारे में पाइललाइन बिछाने के लिए खोला जाएगा। सभी संभारतंत्र सहायताएं अनिवार्यतः मैसर्स रिलायंस गैस ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर जी टी आइ एल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

3. पाइपलाइन बिछाने के दौरान अधिकार मार्ग में फसलों को हुई क्षति को मैसर्स आर जी टी आई एल द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य होगा। आर ओ यू से बाहर फसलों/वृक्षों/अन्य की क्षति का ध्यान रखना मैसर्स आर जी टी आई एल के लिए अनिवार्य होगा।

4. आर जी टी आई एल की पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा होने के बाद गेल का आर ओ यू पूर्ववत सामान्य बना रहना चाहिए और आर जी टी आई एल द्वारा आर ओ यू के सभी किसानों से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

5. आर ओ यू गलियारे में पाइपलाइन बिछाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित सांविधिक अनुमतियां मैसर्स आर जी टी आई एल द्वारा प्राप्त की जाएंगी।

6. आर ओ यू में क्षतिग्रस्त हुए चाहरदिवारी चिह्नकों/आर ओ यू चिह्नकों/हवाई चिह्नकों/सी पी परीक्षण केन्द्रों/पाइपलाइन से संबंधित किसी अन्य सहबद्ध उपस्कर का प्रतिस्थापन अनिवार्यतः मैसर्स आर जी टी आई एल द्वारा अपनी स्वयं की लागत पर कराया जाएगा।

7. मैसर्स आर जी टी आई एल अपनी पाइपलाइन अनिवार्यतः खाई खोद कर बिछाएगी, ताकि मौजूदा पाइपलाइन को क्षति न पहुंचे। आर ओ यू में कार्य करते समय उत्पाद सहित मौजूदा पाइपलाइन को हुई कोई भी क्षति/उत्पादन क्षति मैसर्स आर जी टी आई एल द्वारा वहन की जाएगी।

8. मैसर्स आर जी टी आई एल समानान्तर पाइपलाइनों के लिए अपनी स्वयं की लागत पर सी पी हस्तक्षेप सर्वेक्षण/प्रशमन उपाय करेगी।

9. मैसर्स आर जी टी आई एल द्वारा समानान्तर पाइपलाइनों की बान्डिंग गेल से अनुमति प्राप्त करने के बाद की जाएगी।

10. उक्त कार्य करने के लिए मैसर्स आर जी टी आई एल द्वारा गेल के संबंधित अधिकारी से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की जाएंगी। अनुमति-पत्र का नवीकरण गेल के स्थल कार्यालय द्वारा यथानिर्देशित अनिवार्यतः किया जाएगा।

11. कार्य, गेल के इंजीनियर और गेल के नामनिर्दिष्ट सुरक्षा अधिकारी की उपस्थिति में किया जाना चाहिए, जिसके लिए यथालागू पर्यवेक्षण प्रभार अनिवार्यतः गेल द्वारा संसूचित किए जाएंगे और मैसर्स आर जी टी आई एल द्वारा संदेय होंगे।

12. मैसर्स आर जी टी आई एल द्वारा पाइपलाइन बिछाए जाते समय सुरक्षा परमिट के साथ आर ओ यू में भारी उपस्करों की आवाजाही प्रतिबंधित है।

13. मैसर्स आर जी टी आइ एल आर ओ यू के रखरखाव में होने वाली लागत और गेल के आर ओ यू का उपयोग करने हेतु लागत के रूप में गेल को वार्षिक आधार पर वार्षिक पट्टा धनराशि का भुगतान करेगी, जिसकी संसूचना गेल द्वारा मैसर्स आर जी टी आई एल को वार्षिक आधार पर दी जाएगी।

14. आर ओ यू में गेल सी पी का रखरखाव करेगी और आर जी टी आई एल उसके लिए लागत में हिस्सेदारी करेगी, जिसे किन्हीं अन्य खर्चों के साथ साथ अनिवार्यतः वार्षिक पट्टा किराया में शामिल किया जाएगा।

15. क्षेत्र में कार्यों के आरम्भ होने से पहले मैसर्स आर जी टी आई एल द्वारा अपेक्षित आर ओ यू के समकक्षों (को-आर्डीनेट्स) का सत्यापन गेल के स्थल कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

16. गेल की मौजूदा 18" पाइपलाइन प्रवाह की दिशा के साथ साथ आर ओ यू के छोर से 5 मीटर की दूरी पर बिछी हुई है और प्रस्तावित 18" पाइपलाइन मौजूदा पाइपलाइन से 5 मीटर की दूरी पर बिछाई जा रही है। मैसर्स आर जी टी आई एल को अपनी पाइपलाइन प्रस्तावित पाइपलाइन से 5 मीटर की दूरी पर बिछानी है। (चित्र नीचे संलग्न है).

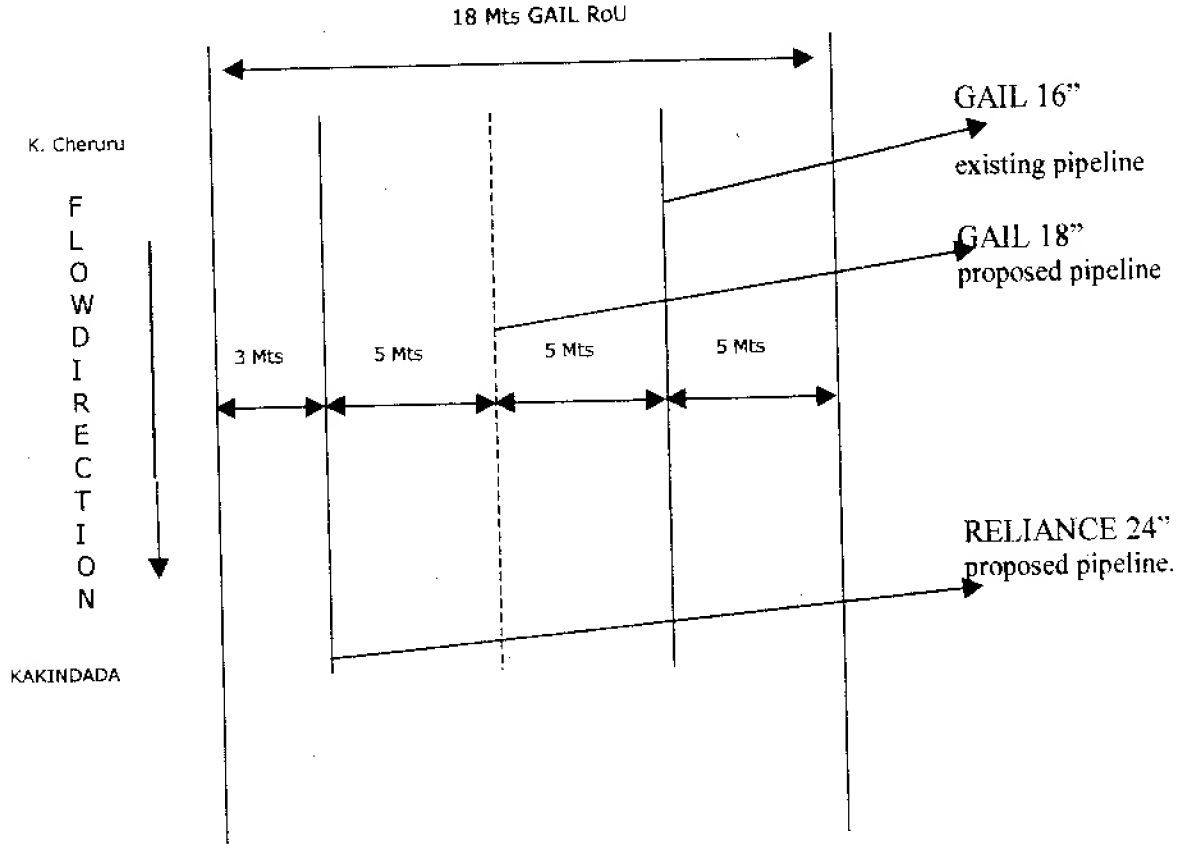

17. भविष्य में यदि मैसर्स आर जी टी आई एल, गेल के आर ओ यू गलियारे के भीतर अपने पाइपलाइन तंत्र में कोई अनुरक्षण कार्य करने के लिए आर ओ यू को पुनः खोलना चाहती हो, तो वे अनुमति के लिए गेल से औपचारिक रूप से संपर्क करेंगे तथा गेल द्वारा मैसर्स आर जी टी आई एल को सभी लागू प्रक्रियाओं, लागत विवक्षाओं (इम्पलिकेशन्स) अनुमति और अन्य शर्तों एवं निबंधनों की संसूचना दी जाएगी, जो मैसर्स आर जी टी आई एल के लिए अनिवार्यतः बाध्यकर होंगी।

New Delhi, the 13th February, 2008

S. O. 324(E).—Whereas by notifications of Government of India in Ministry of Petroleum and Chemicals, Department of Petroleum and Natural Gas number S.O. 1986 dated 28th July,1990; S.O. 1987 dated 28th July, 1990 and S.O. 2875 dated 10th November, 1990, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire Rights of Users in lands, specified in the schedules appended to those notifications, for the purpose of laying Tatipaka – Kakinada Gas Pipeline by M/s Gas Authority of India Limited (now GAIL (India) Limited) for transportation of petroleum and natural gas;

And whereas, Government of India, after considering the reports submitted by the respective Competent Authorities under sub-section (1) of Section 6 of the Act and on being satisfied that the said lands were required for laying the pipeline, decided to acquire the Rights of Users therein;

And whereas, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Act, Government of India declared acquisition of the Rights of Users in lands, specified in the schedules appended to those notifications, for laying the pipeline, vide notifications of Government of India in Ministry of Petroleum and Chemicals, Department of Petroleum and Natural Gas number S.O.3355 dated 15th December, 1990; S.O.3360 dated 15th December, 1990 and S.O.780 dated 16th March, 1991;

And whereas, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the Act, Government of India declared vesting the Rights of Users in the said lands for laying the pipeline in M/s GAIL (India) Limited, instead of Government of India, free from all encumbrances on the dates of publication of the respective declarations;

And whereas, M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited (RGTIL), which is laying Kakinada-Hyderabad-Uran-Ahmedabad gas pipeline, intends to share with M/s GAIL (India) Limited the Rights of Users in land, described in the schedule appended to this notification, which has been earlier vested in M/s GAIL (India) Limited as mentioned above;

And whereas, M/s GAIL (India) Limited has consented to the sharing of the Rights of Users in the said land with M/s RGTIL for inter-connecting M/s RGTIL's Kakinada-Hyderabad-Uran-Ahmedabad pipeline with M/s GAIL's pipeline network at M/s GAIL's Tatipaka-Kakinada pipeline's injection facility at village Oduru, Mandal Ramachandrapuram, District East Godavari on terms and conditions annexed herewith;

Now, therefore, in exercise of powers conferred under sub-section (4) of Section 6 of the Act, Government of India directs that the Rights of Users in the said lands, vested earlier in M/s GAIL (India) Limited, would also be used by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited, from the date of publication of this declaration, on the terms and conditions annexed herewith.

(Schedule and Terms & Conditions Annexed)

Schedule

Mandal / Taluka : Karapa	District : East Godavari	State : Andhra Pradesh		
Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU		
		Hectare	Are	C.Are
1) Siripuram	6	0	02	95
Mandal / Taluka : Ramachandrapuram	**District : East Godavari**	**State : Andhra Pradesh**		
1) Oduru	159	0	00	71
	163	0	01	99
	160	0	01	38
	162	0	00	67
	161	0	02	70

1	2	3	4	5	6
1) Odisha (Contd...)		155	0	00	10
		164	0	03	06
		152	0	02	70
		150	0	02	85
		120	0	02	96
		121	0	00	67
		122	0	02	35
		116	0	00	57
		125	0	01	56
		127	0	00	27
		124	0	02	35
		129	0	00	20

[F. No. 14014/26/2007-GP]
K. K. SHARMA, Under Secy.

Terms and Conditions for utilization of GAIL's RoU by M/s RGTIL

1. Laying of pipelines should conform to OISD Standards 226 and international standard ASME B-31.8.

2. The existing RoU will be opened for laying of pipeline in GAIL's 18 m RoU corridor. All the logistic support shall be provided by M/s RGTIL.

3. Damages for crops damaged in the Right of Way during laying of the pipeline must be borne by M/s RGTIL. Crops, tree and other damages occurred outside RoU shall also be taken care of by M/s RGTIL.

4. After completing the laying works of RGTIL's pipeline, GAIL RoU should be made normal again and a 'No Objections Certificate' would be obtained from all the farmers along the RoU by M/s RGTIL.

5. Statutory permissions for laying their pipeline required from the concerned authorities would be obtained by M/s RGTIL.

6. Boundary Markers / RoU markers / Aerial Markers / CP test stations / any other associated equipment related to pipeline damaged along the RoU shall be replaced by M/s RGTIL at their own cost.

7. M/s RGTIL shall lay their pipeline by carrying out trenching manually so as to protect the existing pipeline. Any damages to the existing pipeline including the product / production loss, while carrying out work in common RoU section of pipeline would be borne by M/s RGTIL.

8. M/s RGTIL would carry out the CP Interference survey / mitigation measures at their own cost for the parallel pipelines.

9. Bonding of parallel pipelines would be carried out by M/s RGTIL only after obtaining consent from GAIL.

10. Necessary permits for carrying out the work would be obtained by M/s RGTIL from the concerned officer of GAIL. Permit would be renewed as directed by the GAIL site without failure.

11. The job should be carried out in the presence of GAIL Engineer & GAIL's designated Safety Officer, for which supervision charges , as applicable, shall be intimated by GAIL and would be payable by M/s RGTIL.

12. Movement of heavy equipment along the RoU while laying the pipeline would be restricted.

13. M/s RGTIL would pay an annual lease amount to GAIL on yearly basis towards cost involved in RoU maintenance as well as for utilizing GAIL's RoU, which will be intimated by GAIL to M/s RGTIL on annual basis.

14. In common RoU portion, GAIL will maintain the CP and M/s RGTIL would share the cost for the same, which along with any other expenses shall be included in annual lease rent.

15. The co-ordinates of common area of RoU required by M/s RGTIL will be verified by GAIL's Site Office before commencement of jobs at field.

16. GAIL's existing 18" pipeline is laid at a distance of 5 m from the end of RoU along the flow direction and the proposed 18" pipeline is being laid at a distance of 5 m from the existing pipeline. M/s RGTIL has to lay their pipeline at a distance of 5 m from the proposed pipeline (Drawing Attached below).

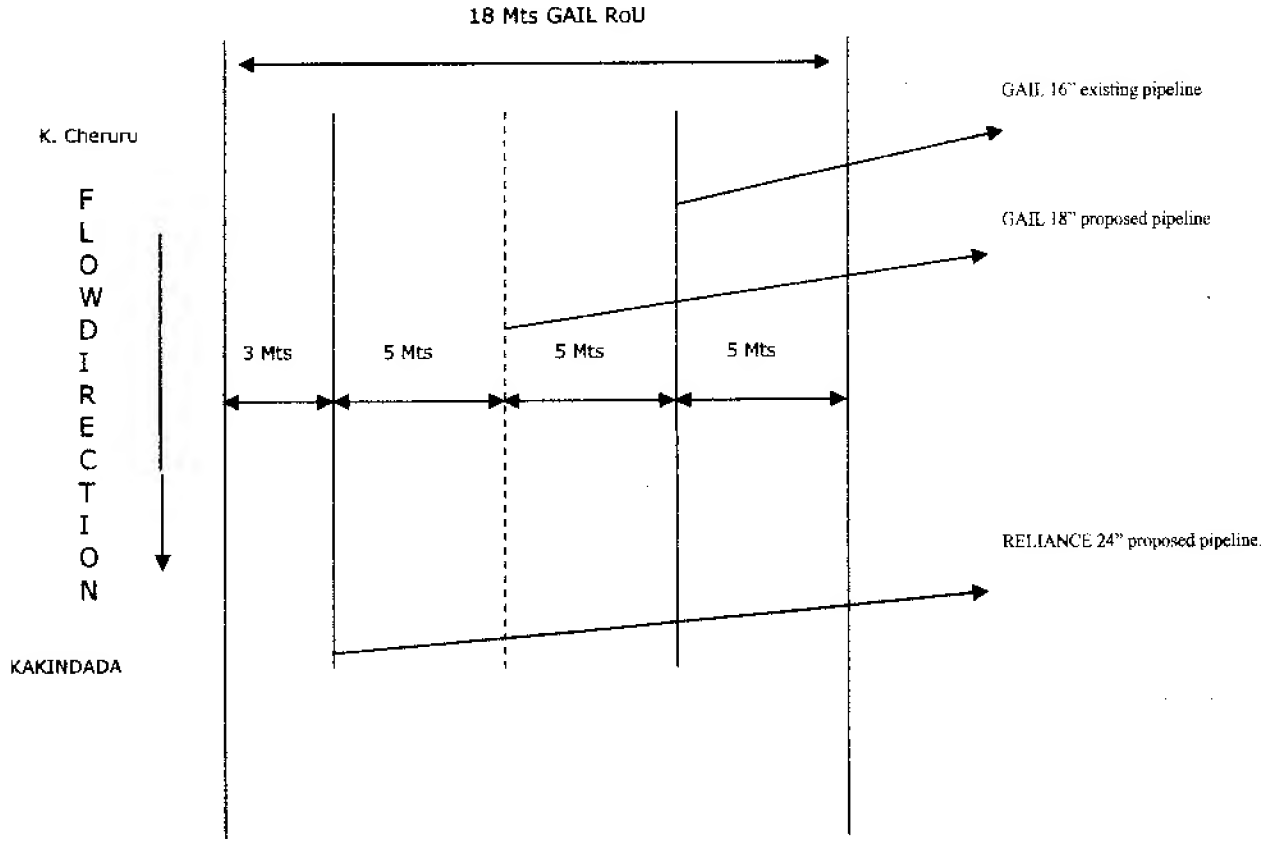

17. In future, if M/s RGTIL wants to reopen the RoU for carrying out any maintenance jobs in their pipeline system within GAIL's RoU corridor, they will formally approach GAIL for permission and all applicable procedures, cost implications, permissions and other terms and conditions will be conveyed to M/s RGTIL by GAIL which shall be binding on M/s RGTIL.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.